न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 15/2018

GCMS NO. : 2018/00036

–: प्रार्थीगण :–

1. मदन पुत्र पुना
2. भूरा पुत्र लालू
3. दुर्गाराम पुत्र रूघाराम
4. नाथूराम पुत्र रूघाराम
5. गीता पुत्री रूघाराम
6. कोयली पुत्री रूघाराम
7. बीजाराम पुत्र लालू जी फौत के कायम मुकाम
   - 7/1 दयालराम पुत्र बीजाराम
   - 7/2 जयराम पुत्र बीजाराम
   - 7/3 पेमाराम बीजाराम
   - 7/4 प्यारकी पत्नि बीजाराम
   - 7/5 कमला पुत्री बीजाराम
   - 7/6 रूकमा पुत्री बीजाराम
   - 7/7 छोटी पुत्री बीजाराम
8. भीयाराम पुत्र लालू
9. घमण्डाराम पुत्र लालू
10. परमाराम पुत्र जीयाराम
11. शंकरलाल पुत्र जीयाराम जी फौत के कायम मुकाम
    - 11/1. मिदूदेवी पत्नि शंकरलाल
    - 11/2. महेन्द्र पुत्र शंकरलाल
    - 11/3. महावीर पुत्र शंकरलाल
    - 11/4. शांति पुत्री शंकरलाल
    - 11/5. संगीता पुत्री शंकरलाल
    - 11/6. सरमिला पुत्री शंकरलाल
    - 11/7. लीला पुत्री शंकरलाल
12. जेठाराम पुत्र धन्नाराम
13. सुगनाराम पुत्र धन्नाराम
14. रामपाल पुत्र धन्नाराम
15. कमला पुत्री धन्नाराम
16. इन्द्रा पुत्री धन्नाराम
17. कचू पुत्री धन्नाराम
18. धापूदेवी पत्नि धन्नाराम
19. मादू पुत्र अन्ना जी फौत के कायम मुकाम
    - 19/1. भीकाराम पुत्र मादू
    - 19/2. रामरतन पुत्र मादू
    - 19/3. सायरी पत्नि मादू

    जातिगण– माली, निवासीगण– बिकरलाई, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज0)

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. रामकन्या पुत्री मादू पत्नी रमेश
2. गीता पुत्री मादू पत्नी कवरीलाल
3. शांति पुत्री मादू पत्नी रामनिवास
4. पाचूडी पुत्री मादू पत्नी रामपाल जातिगण– माली, निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण।
5. सुशीला पुत्री मादू पत्नी प्रकाश जाति– माली, निवासी– आ0कालू, बेरा थलीवाला, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/01/2018

उपस्थितः–

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1. श्री तुलसाराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 24/12/2020

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा बिकरलाई पटवार हल्का रामावास कला में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन व कुआ खसरा नम्बर- 273, 274, 275, रकबा 94 बीघा 13 बिस्वा भूमि आई है एवं खसरा नम्बर- 272 कुआ व 273 आबादी ढाणी आई हुई है। प्रार्थीगण के कुएं व रहवासी मकान व खातेदारी जमीन में जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में वर्णित रास्ता खसरा नम्बर -224 खसरा नम्बर 268/1 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा में से होकर आते व जाते है मौके पर आम रास्ता वर्तमान में चालू हालत में है उक्त रास्ता वक्त सेटलमेन्ट यानि 60 वर्षो से आज तक चालू हालत में है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी जमीन व कुए व रहवासी मकान पर बिना किसी रोक टोक से ट्रेक्टर, छकड़ा, पशु आदि लाते व ले जाते है। उक्त रास्ते का मौके का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। जिसको प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें उक्त रास्ता मौके पर 20 फुट चौड़ा है जो लाल रंग से मार्क ए. से बी. दर्शाया गया। प्रार्थीगण के कुए पर जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण खाद, बीज फसल आदि लाते व ले जाते है उक्त रास्ता बाबत अप्रार्थी को कोई आपति नहीं है उक्त रास्ता सेट्लमेन्ट के समय से चालू हालत में है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों की गलती से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया जो अब राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना जरूरी हैं। वर्तमान में जमीन की कीमते बढ़ने से रास्ते को दोनो तरफ से अप्रार्थीयां संकड़ा कर रही है तथा कांटे डालकर बाधा उत्पन्न कर रही है। राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज (तरमीम) नहीं होने से अप्रार्थीया रास्ते को बन्द करने की धमकिया देती है। प्रार्थीगण के कुएं पर जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता कदीमी है, जो आज तक चालू हालत में है। यदि अप्रार्थीया रास्ते को बन्द कर देती है, तो प्रार्थीगण अपने कुए पर व जमीन व रहवासी मकान पर आने जाने से महरूम रह जायेगे। इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना जरूरी हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कुए व जमीन व ढाणी खसरा नम्बर खसरा नम्बर- 273, 274, 275, रकबा 94 बीघा 13 बिस्वा भूमि आई है एवं खसरा नम्बर- 272 कुआ व 273 आबादी ढाणी आई हुई है। प्रार्थीगण के कुए व रहवासी मकान व खातेदारी जमीन में जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में वर्णित रास्ता खसरा नम्बर- 224 से खसरा नम्बर 268/1 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा में से होते हुए 20 फुट चौड़ा रास्ता जो चालू है, जो नजरी नक्शा में लाल रंग से बताया गया है, जिसको राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 273, 274 व 275 की कृषि भूमि व उसके साथ संल्गन खसरा नम्बर 272 कुंआ व खसरा नम्बर 273

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible]बादी भूमि आई हुई होने के तथ्यो को प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। साथ ही खसरा नम्बर 224 गैर मुमकिन सड़क होने के कथन सही है व खसरा नम्बर 268/1 रकबा बीघा 10 बिस्वा की भूमि रामकन्या पत्नि रमेश जी भाटी निवासी जैतारण वाले की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि होने के कथन भी सही होने से स्वीकार है, लेकिन इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने जो नजरी नक्शा पेश किया है। वह कतई गलत, बेबुनियाद एवं मनमाने तरीके से तैयार किया गया होने से अस्वीकार है। इस नजरी नक्शें में दर्शित अनुसार मौके पर कोई रास्ता नही है एवं इस प्रस्तावित नजरी नक्शे के माफिक प्रार्थीगण जबाव देहन्दा रामकन्या की भूमि को दो हिस्सों में बांट देना चाहते है। जो कतई स्वीकार्य नही है, न ही इस प्रकार की मनमाने तरीके से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की ओर से की गई कार्यवाही कतई गलत होने से अस्वीकार है। साथ ही मौके पर इस नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार खुला रास्ता होने व सेटलमेंट के समय से चल रहा होने के कथन असत्य होने से अस्वीकार है। यदि इस प्रकार का रास्ता वक्त सेटलमेंट से मौके पर होता तो अवश्य ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम होता। इसके अलावा प्रार्थीगण स्वयं इजमेंटरी राईट के तहत सिविल न्यायालय से अपना वादपत्र निस्तारित करवाते। लेकिन इस प्रकार का रास्ता मौके पर स्थित नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण ने इस अधिनियम की धारा 251 क के तहत यह कार्यवाही पेश की है। इस प्रकार से प्रार्थीगण नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार किसी भी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से की गई कार्यवाही खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जैसा कि प्रार्थीगण ने इस पद में लिखा है कि उक्त रास्ता सेटलमेंट से चालू है यदि इस प्रकार से वास्तविकता में सेटलमेंट से उक्त रास्ता चालू होता तो राजस्व रेकर्ड में अवश्य ही दर्ज हो जाता एवं इस बाबत प्रार्थीगण अपने सुखाचारों की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय में कार्यवाही करते, जो कि प्रार्थीगण ने नहीं की है। इस प्रकार से सुखाचार के मामलों में राजस्व न्यायालय को कोई श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रस्तावित नक्शे के जरिये प्रार्थीगण जबाब देहन्दा रामकन्या की कृषि भूमि को दो भागों में बांटना चाहते है जो कतई गलत है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा बताये अनुसार न तो इस प्रकार का रास्ता मौके पर है न ही ऐसे रास्ते की मौके पर कोई खाई व खन्दक ही है। प्रार्थीगण ने झूठी कार्यवाही करने की नियत से झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये जवाब देहन्दा रामकन्या की खातेदारी भूमि के बीच में मन[illegible] से [illegible] सम्बन्धित नजरी नक्शा तैयार किया है, जो कतई गलत है। इस प्रकार [illegible] माम[illegible] में पहले सिविल न्यायालय द्वारा सुखाचार की घोषणा करवाई [illegible] रास्ते की घोषणा चाहे केवल धारा 251 क राजकाश्त0 अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, साथ ही धारा 251क के प्रावधानों में [illegible] भी खातेदारी भूमि के अलग अलग टूकडे करवाये जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, न ही इन प्रावधानो के तहत किसी प्रकार का स्थगन जारी किये जाने का प्रावधान ही है। इस पद में प्रार्थीगण ने स्थगन प्राप्त करने हेतु तथ्य लिखे है। लेकिन इससे सम्बन्धित भी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अनुतोष नहीं चाहा है। न ही इस कार्यवाही के जरिये रास्ता तरमीम किये जाने को कोई प्रावधान ही है। इसलिए भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें। अतः जवाब कार्यवाही मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के अप्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त कार्यवाही सव्यय खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में निम्नलिखित विधिक प्रावधान हैः–

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः–

251– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लद्युतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने [illegible] बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे [illegible] संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, [illegible] सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मा[illegible] विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया ज[illegible] वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(ग) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू-अभिलेख निरीक्षक बैड़कला की रिपोर्ट, मौके रिपोर्ट एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे एवं जमाबन्दी के अनुसार खसरा संख्या 273, 274 व 275 प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है तथा खसरा संख्या 268/1 अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए एक मात्र न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता ग्राम बिकरलाई से ग्राम बलून्दा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग से खसरा संख्या 268/1, 275 व 274 में से है जो कि मौके पर कदीमी रूप से चल रहा है, परन्तु भू-अभिलेख में अभिलिखित नहीं हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक बेड़कला की जांच प्रतिवेदन के अनुसार खसरा संख्या 268/1 की पूर्वी सीमा के सहारे 0-05 बीघा, खसरा संख्या 275 की पूर्वी सीमा के सहारे 1-05 बीघा तथा खसरा संख्या 274 की पूर्वी सीमा के सहारे 0-07 बीघा अर्थात कुल रकबा 1-17 बीघा अर्थात् 3 गठा चौड़ा व 244 गठा लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया है। हम भू-अभिलेख निरीक्षक बेड़कला के जांच प्रतिवेदन से सहमत है तथा यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं की जा रही है तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता है। चूंकि खसरा संख्या 274 व 275 की भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है, जिस पर की सभी सहखातेदारान द्वारा अभिलिखित रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन एवं सहमति प्रदान की है। अतः खसरा संख्या 275 में से कुल 1-05 बीघा तथा खसरा संख्या 274 में से 0-07 बीघा प्रस्तावित रास्ता की भूमि की प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं हैं। अतः प्रतिकर राशि की गणना एवं भुगतान केवल अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 268/1 में से 0-05 बीघा प्रस्तावित रास्ता की भूमि के लिए ही प्रस्तावित किया जाना उचित रहेगा। तहसीलदार राजस्व लेखाकार जैतारण की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिकरलाई के उपर्युक्त खसरा की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर 781,730 रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 126,542 रूपये प्रति बीघा है। खसरा संख्या 268/1 में से रास्ता हेतू प्रस्तावित 0-05 बीघा भूमि की आनुपातिक वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर 31635 रूपये बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि सरहद मौजा बिकरलाई की खसरा संख्या 268/1, 275 व 274 की पूर्वी सीमा के सहारे क्रमशः 32 गठा, 168 गठा एवं 44 गठा लम्बाई अर्थात खसरा संख्य268/1 में से 0-05 बीघा, खसरा संख्या 275 में से कुल 1-05 बीघा एवं खसरा संख्या 274 में से 0-07 बीघा भूमि पर से भू-अधिलेख निरीक्षक बेड़कला के प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत करना, खसरा संख्या 274 व 275 की भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि होने एवं खातेदारान की सहमति के कारण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सार्वजनिक रास्ता दर्ज की जा रही इन खसरान् की भूमि का प्रतिकर भुगतान नहीं करना तथा खसरा संख्या 268/1 की भूमि जो कि अप्रार्थीगण की है को नियम अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना स्वीकृत करते हुए, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बेड़कला के प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप ग्राम बिकरलाई से ग्राम बलून्दा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग से खसरा संख्या 268/1 की पूर्वी सीमा के सहारे 0–05 बीघा, खसरा संख्या 275 की पूर्वी सीमा के सहारे 1–05 बीघा तथा खसरा संख्या 274 की पूर्वी सीमा के सहारे 0–07 बीघा अर्थात कुल रकबा 1–17 बीघा अर्थात् 3 गठा चौड़ी व 244 गठा लम्बी भूमि में से खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। खसरा संख्या 275 व 274 की भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि होनें से इसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उपर्युक्त खसरा संख्या 268/1 की प्रचलित वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर 781,730 रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 126,542 रूपये प्रति बीघा है तथा स्वीकृत रास्ता भूमि जिसके लिए प्रतिकर देय है अर्थात् 0–05 बीघा भूमि की आनुपातिक वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर 31635 रूपये बनती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रतिकर राशि प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगुनी अर्थात् 63270 रूपये (अक्षरे तिरेसठ हज़ार दो सौ सत्तर रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 268/1 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है।

खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 24/12/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जैतारण, (जिला–पाली)